न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –26/2017 जिला सीकर

रामेश्वर उम्र 61 वर्ष पुत्र श्री छोटू , जाति कुम्हार, निवासी मोठूका , उप तहसील पाटन, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)
2. उप तहसीलदार उप तहसील पाटन, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
3. तहसीलदार, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
4. पटवारी, ग्रम मोठूका, पटवार हल्का बेगा की नांगल उप तहसील पाटन, जिला सीकर ।
5. ग्रम पंचायत मोठूका, पंचायत समिति नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 3.10.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री मनीष पारीक
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक– 13.12.2017

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 3.10.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

चित्र। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह कि ग्रम जनता मोठूका द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार नीमकाथाना एवं उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना को प्रस्तुत किया कि ग्रम मोठूका स्थित आराजी खसरा नम्बर 607, 608, 597, 609, 592, 593, 639, 640, व अन्य खसरा नम्बर के बीच से ओनाड सिंह राजपूत की धर्मशाला के पास से होता हुआ रामसिंह यादव की जमीन से 15 फिट चौडा कदीमी रास्ता सैकडों वर्षों से हरचन्द हरि. के मकान तक उपयोग में आता रहा है जिससे होकर वार्ड नम्बर 10 के एस.सी. व एस.टी. जाति के लोग आवागमन करते हैं तथा पशुधन व वाहन भी इसी रास्ते से लाते हैं । इस वार्ड में आने जाने का यहीं एकमात्र रास्ता है जिसे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर अवरोध बना दिया है । अतः कदीमी चालू रास्ते से अवरोध हटवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जावे ।

तहसीलदार नीमकाथाना से पत्रावली रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण अभियान 2016 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना को प्रस्तुत होने पर उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा आदेश दिनांक 3.10.2016 पारित कर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया गया कि ग्रम मौठूका के भूमि खसरा नम्बर 640, 639, 607, 608, 609, 597, 593, 592, 432 में से यथाप्रस्तावित कदीमी रास्ते का नामांतरकरण गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज किया जाकर अंकन राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे व रास्ते का खसरा नम्बर अलग से दिया जाकर नक्शे में अंकन

कर रास्ते का अतिक्रमण हटाया जावे । यदि रास्ता निजी खातेदारी भूमि में से जा रहा है तो गै.मु. रास्ता भी निजी खातेदारी में दर्ज किया जावे, यदि राजकीय भूमि में रास्ता है तो राजकीय खातेदारी में रास्ता दर्ज किया जावे ।

उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट रामेश्वर द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं धारा 96 सी. पी.सी.के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने व अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 3.10.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवकतओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस व सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से अपीलाधीन आदेश का ज्ञान प्रारम्भ में नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है । अतः मियाद अधिनियम की धारा 5 का एवं धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षमा किया जावे तथा अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई तहकीकात नहीं की एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के बयान नहीं लिये गये तथा न ही उनकी सहमति ली गई । जिस भूमि के मध्य से होकर रास्ता गुजर रहा है उस भूमि के खातेदारों की सहमति नहीं ली तथा उन्हें सूचना दिये बिना व पक्षकार बनाये बिना एक दिन में ही सम्पूर्ण कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । वर्तमान में जो रास्ता कायम किया है वह अपीलान्ट की उपजाउ भूमि को खुर्द बुर्द किये जाने की गरज से खातेदारी भूमियों में से बीचो बीच मौके व परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखते हुये बनाया है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा विधिवत रास्ता कायम करने से पूर्व अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया के अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर यथाप्रस्तावित कदीमी रास्ते का नामांतरकरण गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज कर अंकन राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करने , रास्ते का खसरा नम्बर अलग से दिया जाकर नक्शे में अंकन कर अतिक्रमण हटाने तथा यदि रास्ता निजी खातेदारी भूमि में से जा रहा हो तो गैर मुमकीन रास्ता निजी खातेदारी में दर्ज करने एवं राजकीय भूमि में रास्ता है तो राजकीय खातेदारी में रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये हैं , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण प्राप्त होने पर ग्रम मोठूका की भूमि खसरा नम्बर 640, 639, 607, 608, 609, 597, 593, 592, 432 में से यथाप्रस्तावित कदीमी रास्ते का नामांतरकरण गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज किया जाकर अंकन राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने, रास्ते का खसरा नम्बर अलग से दिया जाकर नक्शे में अंकन किये जाने, रास्ते का अतिक्रमण

हटाये जाने एवं यदि रास्ता निजी खातेदारी भूमि में से जा रहा है तो गै.मु. रास्ता भी निजी खातेदारी में दर्ज किये जाने तथा यदि राजकीय भूमि में रास्ता है तो राजकीय खातेदारी में रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नीमकाथाना को दिये हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि तहसीलदार नीमकाथाना के प्रस्तावानुसार उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना , जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.10.2016 जनहित की भावना को देखते हुये रास्ते संबंधी समस्या का निराकरण करते हुये गै.मु. रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है , जो उचित एवं विधिक तथा इसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर